# विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर

क्रमांकः वि.रा.कॉ / संकाय / 2018 /

दिनांक : 06.08.2018

## नोटिस

शीघ्र ही छात्रसंघ चुनाव, 2018 प्रस्तावित है एवं छात्रसंघ चुनावों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करना छात्रों एवं महाविद्यालय प्रशासन का दायित्व है।

**महाविद्यालय परिसर में छात्रों एवं उनके समर्थकों द्वारा** नारेबाजी करना, किसी भी छात्र के विजीटिंग कार्ड, स्टीकर, पोस्टर, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री महाविद्यालय परिसर में कहीं पर भी बिखेरना, चिपकाना अथवा लगाना लिंगदोह **समिति की सिफारिशों का खुले तौर पर उल्लंघन** है एवं स्वच्छता अभियान को प्रभावित करने के साथ–साथ **''राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006''** का भी उल्लंघन है।

अतः सूचित किया जाता है कि कोई भी छात्र महाविद्यालय परिसर में ग्रुप बनाकर नारेबाजी नहीं करें एवं न ही किसी भी छात्र के विजीटिंग कार्ड, स्टीकर, पोस्टर, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री महाविद्यालय परिसर में कहीं पर भी नहीं बिखेरे तथा न ही कहीं पर भी चिपकायें अथवा लगाये।

उक्त कृत्य करने वाले छात्रों के विरूद्ध **"राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006"** के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक / कानूनी कार्यवाही के साथ–साथ **विश्वविद्यालय / सम्बन्धित विभाग / महाविद्यालय** को उनके द्वारा लिंगदोह **समिति की सिफारिशों के उल्लंघन के कारण** आगामी छात्रसंघ चुनाव लड़ने पर भी **रोक लगाने की अनुशंसा की जायेगी,** जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

प्राचार्य

PRINCIPAL
University Rajasthan College
JAIPUR

क्रमांकः वि.रा.कॉ / संकाय / 2018 /

दिनांक : 06.08.2018

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः**

1. मुख्य कुलानुशासक (चीफ प्रॉक्टर), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. छात्र सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।

प्राचार्य

PRINCIPAL
University Rajasthan College
JAIPUR